	9/10/25	पत्रावली पेश हुई। वाद वाद 01R3 पत्रावली में शामिल किया जा चुका है इसलिए अब T.I प्रपत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहा जाता है इसलिए T.I प्रपत्र स्वीकृत किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर एक पक्ष से कमती उपखण्ड अधिकारी साभरलेक	